एमएसएमई वित्त : संभावनाओं की नई राह

*डॉ. ईशिता जी. त्रिपाठी

बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य, डिजिटलीकरण, हरित प्रौद्योगिकी, और आपूर्ति शृंखलाओं के पुनर्गठन के दौर में एमएसएमई को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तेजी से बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, प्रौद्योगिकी के नए आयामों और वित्तीय नवाचारों के बीच, एमएसएमई क्षेत्र के वित्तीय भविष्य को नए दृष्टिकोण, सशक्त नीतियों और अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। यदि आज सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो एमएसएमई न केवल भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था को मज़बूत कर सकते हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इस संदर्भ में, एमएसएमई वित्त के भविष्य को समझना और उसका प्रभावी मार्गदर्शन करना समय की महत्वपूर्ण मांग बन गया है। इस लेख में हम एमएसएमई वित्त के भविष्य की दिशा, संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे तथा यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यह क्षेत्र भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) वैश्विक आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, एमएसएमई दुनिया भर में 90% व्यवसायों, 60-70% नौकरियों और 50% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी एमएसएमई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्वरोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। 7 अप्रैल, 2025 तक, भारत में 6.23 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत थे, जिनमें लगभग 26.66 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। ये एमएसएमई भारत के स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक-तिहाई और देश के कुल निर्यात में 45% से अधिक का योगदान करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था का लघु रूप है, जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है (तालिका-1 देखें)। यह क्षेत्र पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में बहुआयामी औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद करता है।

*लेखिका भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के विकास आयुक्त कार्यालय में अपर विकास आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं। ईमेल : igtripathy@gmail.com

तालिका-1: उद्यम पंजीकरण पोर्टल (URP) और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (UAP) पर शीर्ष 10 क्षेत्र
(01.07.2020 से 07.04.2025 तक)

क्रम संख्या	NIC दो अंकीय कोड	विवरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	कुल में सूक्ष्म का प्रतिशत
1	47	मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों के अलावा खुदरा व्यापार	2,02,20,972	76,162	2,909	2,03,00,043	99.61%
2	96	अन्य व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां	54,28,445	7,307	402	54,36,154	99.86%
3	46	मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों के अलावा थोक व्यापार	39,85,468	1,35,305	7,707	41,28,480	96.54%
4	56	खाद्य और पेय सेवा गतिविधियां	38,96,226	19,559	1,092	39,16,877	99.47%
5	49	भूमि परिवहन और पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन	35,28,686	26,763	1,404	35,56,853	99.21%
6	10	खाद्य उत्पादों का निर्माण	32,71,405	56,005	6,398	33,33,808	98.13%
7	95	कंप्यूटर और व्यक्तिगत एवं घरेलू वस्तुओं की मरम्मत	18,44,128	4,222	372	18,48,722	99.75%
8	13	वस्त्रों का निर्माण	17,66,601	30,856	3,100	18,00,557	98.11%
9	14	परिधान निर्माण	17,59,535	9,666	795	17,69,996	99.41%
10	32	अन्य विनिर्माण	16,49,094	35,308	4,041	16,88,443	97.67%

स्रोत: URP and UAP, O/o DC-एमएसएमई

एमएसएमई की विविध प्रकृति उनके खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, ऑटो घटकों, आतिथ्य, और यहां तक कि चंद्रयान के पुर्जों के निर्माण जैसे विविध क्षेत्रों में उपस्थिति से स्पष्ट होती है। पंजीकृत एमएसएमई में लगभग 70% सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। पंजीकरण के अनुसार शीर्ष क्षेत्र व्यापार, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यम पंजीकृत एमएसएमई में सबसे बड़ी संख्या में हैं।

एमएसएमई की परिभाषा

1 अप्रैल, 2025 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की परिभाषा को और व्यापक बना दिया गया है। यह परिवर्तन केंद्रीय बजट 2025 के पैरा 28 में की गई घोषणाओं के अनुरूप किया गया है। बजट के अनुसार, एमएसएमई की परिभाषा में शामिल इकाइयों के लिए टर्नओवर की सीमा को दोगुना कर दिया गया है और संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरणों में निवेश की सीमा को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है (तालिका-2 देखें)।

पृष्ठभूमि एवं वर्तमान परिदृश्य

एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 में उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। वर्ष 2015 में आधार-आधारित एक नया ऑनलाइन पंजीकरण तंत्र 'उद्योग आधार मेमोरेंडम' शुरू किया गया। व्यापार में सुगमता और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनज़र, वर्ष 2020 में भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2020 से निवेश के साथ-साथ टर्नओवर को भी मानदंड बनाया। साथ ही, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया जिससे नीति को सरल और व्यावहारिक बनाया जा सके। एमएसएमई के लिए पंजीकरण को आसान बनाने हेतु पैन से जुड़ा 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल'

तालिका-2: एमएसएमई वर्गीकरण के लिए मापदंड (करोड़ रुपये में)

उद्यम वर्गीकरण	2.10.2006 से 30.6.2020 तक (केवल संयंत्र/मशीनरी में निवेश)	1.7.2020 से 31.3.2025 तक (निवेश + टर्नओवर)	1.4.2025 से आगे (निवेश + टर्नओवर)
सूक्ष्म	विनिर्माण: 0.25 करोड़ तक सेवा: 0.10 करोड़ तक	निवेश: 1 करोड़ तक टर्नओवर: 5 करोड़ तक	निवेश: 2.5 करोड़ तक टर्नओवर: 10 करोड़ तक
लघु	विनिर्माण: 0.25 - 5 करोड़ सेवा: 0.10 - 2 करोड़	निवेश: 10 करोड़ तक टर्नओवर: 50 करोड़ तक	निवेश: 25 करोड़ तक टर्नओवर: 100 करोड़ तक
मध्यम	विनिर्माण: 5 - 10 करोड़ सेवा: 2 - 5 करोड़	निवेश: 50 करोड़ तक टर्नओवर: 250 करोड़ तक	निवेश: 125 करोड़ तक टर्नओवर: 500 करोड़ तक

(URP) 1 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। यह एक स्व-घोषणा आधारित प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी दस्तावेज़ को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, बड़ी संख्या में छोटे उद्यम जीएसटी प्रणाली से बाहर हैं और URP पर पंजीकृत नहीं हुए हैं। ऐसे उद्यमों के लिए 11 जनवरी, 2023 को 'उद्योग असिस्ट प्लेटफॉर्म' (UAP) लॉन्च किया गया।

1 अप्रैल, 2025 को नई परिभाषा लागू होने के बाद से लेकर 7 अप्रैल, 2025 तक लगभग 2 लाख अतिरिक्त उद्यमों का औपचारिक रूप से पंजीकरण किया गया और उन्हें एमएसएमई की श्रेणी में शामिल किया गया। अब, विस्तृत सीमा और नए मापदंडों के अंतर्गत अधिक उद्यम एमएसएमई के रूप में पात्र होंगे, जिससे उन्हें वित्त, सब्सिडी, कौशल विकास, विपणन और तकनीकी सहायता जैसे लाभ मिल सकेंगे। औपचारीकरण से उद्यमों को एक पहचान मिलती है और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का अधिकार प्राप्त होता है। हाल के महीनों में एमएसएमई मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राज्य सरकारों, एमएसएमई संघों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करके औपचारीकरण अभियान चलाया गया है। जहां 1 अप्रैल, 2023 तक URP और UAP पर कुल 1.65 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत थे, वहीं 7 अप्रैल, 2025 तक यह संख्या बढ़कर 6.23 करोड़ हो गई है राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे है (81,62,677 पंजीकृत एमएसएमई के साथ), इसके बाद उत्तर प्रदेश (66,69,911) और तमिलनाडु (50,48,060) का स्थान है।

एमएसएमई का सशक्तीकरण

उद्यम विकास के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण आवश्यक है जिसे सुलभ वित्त, प्रौद्योगिकी, विपणन और सहायक अवसंरचना के माध्यम से सशक्त किया जाना चाहिए। भारत सरकार की हालिया पहलों ने इन सभी आवश्यक पहलुओं में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। परिणामस्वरूप, एमएसएमई क्षेत्र ने मजबूती दिखाई है, अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है और जीडीपी, निर्यात तथा रोज़गार में अपने विशाल योगदान को और मजबूत किया है।

ऐसे परिदृश्य में, विकासोन्मुख एमएसएमई स्वाभाविक रूप से इस चिंता से ग्रस्त होते हैं कि यदि वे अपनी एमएसएमई की स्थिति खो बैठते हैं, तो उन्हें मिलने वाले लाभों से भी वंचित होना पड़ सकता है। इस चिंता को दूर करने के लिए बजट 2025 में वर्गीकरण की कसौटी को बढ़ाने की घोषणा की गई। इससे उद्यम बिना किसी रुकावट के अपने विकास पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। यह संशोधन न केवल मौजूदा एमएसएमई को पुनः वर्गीकृत करेगा, बल्कि उन कुछ उद्यमों को भी एमएसएमई की श्रेणी में लाएगा जो अब तक बड़े उद्यमों के रूप में वर्गीकृत थे। इससे समावेशिता, विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को और बल मिलेगा।

एमएसएमई वित्त

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) श्रेणी में आते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसार, घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) का कम से कम 40% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र में देना अनिवार्य है। इसमें से 7.5% हिस्सा विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों के लिए निर्धारित किया गया है।

आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं-

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को दिए जाने वाले ऋण में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि सुनिश्चित की जाए।
- सूक्ष्म उद्यमों के खातों की संख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की जाए।
- MSE क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण का कम से कम 60% हिस्सा सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाए (पिछली तिमाही के आंकड़ों के आधार पर)।

पीएसएल के तहत ऋण देने के लिए बैंकों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (URP) या उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (UAP) पर जारी प्रमाणपत्र में दर्ज वर्गीकरण का पालन करना होता है।

बैंकों को यह भी निर्देश दिए गए हैं-

- 10 लाख तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा न ली जाए।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अंतर्गत आने वाली सभी इकाइयों को बिना ज़मानत ऋण उपलब्ध कराया जाए।

- यदि किसी इकाई का वित्तीय रिकॉर्ड और प्रदर्शन संतोषजनक हो, तो 25 लाख तक के ऋण पर भी संपार्श्विक की शर्त हटाई जा सकती है।
- बैंकों को क्रेडिट गारंटी योजना (CGS) के अंतर्गत सुरक्षा कवरेज प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक और स्वागतयोग्य पहल, 21 फरवरी 2025 को जारी आरबीआई का मसौदा परिपत्र है। इसमें आरबीआई ने हितधारकों से सुझाव मांगे हैं कि फ्लोटिंग रेट ऋणों के समय-पूर्व भुगतान या समापन पर शुल्क लगाने की प्रथा को समाप्त किया जाए। यदि यह निर्देश लागू होता है, तो एमएसई इकाइयों को अन्य बैंकों से कम ब्याज दर या बेहतर शर्तों पर ऋण लेने में सुविधा होगी, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी

किसी ऋण पर तीसरे पक्ष द्वारा दी गई गारंटी उधारदाताओं को डिफॉल्ट (ऋण चूक) से सुरक्षा प्रदान करती है। बजट 2025 में एक महत्वपूर्ण घोषणा यह थी कि क्रेडिट गारंटी योजना (CGS) के तहत ऋण गारंटी की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। यह संशोधित सीमा 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो चुकी है। क्रेडिट गारंटी योजना (CGS) के अंतर्गत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) एमएसई द्वारा लिए गए ऋणों पर गारंटी कवरेज प्रदान करता है। यह संशोधन बजट 2025 में किए गए निवेश और टर्नओवर की सीमा में वृद्धि के अनुरूप है। इसके परिणामस्वरूप, अब जो बड़े उद्यम एमएसएमई के दायरे में आएंगे, वे अधिक राशि के ऋण की मांग कर सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत, CGTMSE एक तृतीय पक्ष के रूप में सदस्य ऋण संस्थाओं (MLIs) को वार्षिक गारंटी शुल्क के बदले में गारंटी देता है। MLIs में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs), माइक्रो फाइनेंस संस्थान आदि शामिल हैं। गारंटी कवरेज की दरें इस प्रकार हैं:

i. महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए: 90%
ii. SC/ST उद्यमियों के लिए: 85%
iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्थित एमएसई के लिए: 80%
iv. अन्य सभी एमएसई के लिए: 75%

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दो पक्षों की समस्याओं को हल करना है:

i. ऋणदाताओं की ज़मानत की आवश्यकता को संतुलित करना, और
ii. उधारकर्ताओं की ज़मानत देने में असमर्थता की बाधा को दूर करना।

क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी और तब से यह योजना उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हुई है। तालिका-3 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2023-24 से गारंटी की राशि में तीव्र वृद्धि देखी गई, जिसका कारण था 1 अप्रैल 2023 से वार्षिक गारंटी शुल्क में 50% की कटौती। CGTMSE द्वारा हाल ही में की गई पहलें तीन मुख्य उद्देश्यों को पूरा करती हैं:

1. क्रेडिट को अधिक सुलभ बनाना, यानी एमएसई के लिए ऋण लेना आसान और अधिक किफायती बनाना।
2. गारंटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर अधिक राशि के ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. ऋणदाताओं की संख्या बढ़ाना, जिससे 2021-22 में 136 सदस्य संस्थाएं थीं, जो 2024-25 में बढ़कर 276 हो गई है।

तालिका-3: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटी

मापदंड	2000–2023	2023–2025
गारंटी की संख्या (लाख में)	71	44
गारंटी की राशि (लाख करोड़ में)	4.27	5.08
न्यूनतम वार्षिक गारंटी शुल्क (%)	0.75	0.37

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न करना है। यह कार्यक्रम निर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक की नई परियोजनाओं की स्थापना की अनुमति देता है। बैंकों द्वारा परियोजना लागत का अधिकतम 95% तक ऋण

स्वीकृत किया जाता है। परियोजना लागत का अधिकतम 35% तक अनुदान भी मान्य है। वर्ष 2008-09 में इसकी शुरुआत से लेकर 2024-25 तक, इस योजना के तहत 10.18 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है, जिससे 83 लाख व्यक्तियों को रोज़गार मिला है। PMEGP विशेष रूप से गैर-कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य सदस्य ऋण संस्थाओं (MLIs) के माध्यम से बिना ज़मानत ऋण प्रदान करना है। छोटे उद्यमी इस योजना के तहत आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण ले सकते हैं। वर्ष 2015 से अब तक कुल 32.61 लाख करोड़ से अधिक राशि के 51.67 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। यह योजना छोटे उद्यमियों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में अत्यधिक सफल रही है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर, 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य हाथों और औजारों से काम करने वाले हस्तकला और पारंपरिक कारीगरों को समग्र सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से लाभार्थियों को सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि प्रदान करना है:

- पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचान-पत्र द्वारा पहचान देना,
- 500 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण वजीफा और 1000 रुपये परिवहन भत्ते के साथ कौशल उन्नयन,
- 15,000 रुपये मूल्य के ई-वाउचर के माध्यम से आधुनिक टूल किट,

- डिजिटल लेन-देन अपनाने पर प्रोत्साहन,
- विपणन सहायता, और
- बिना ज़मानत 5% रियायती ब्याज दर पर 3 लाख तक का एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट ऋण (1 लाख और 2 लाख की दो किश्तों में), जिनकी अवधि क्रमशः 18 और 30 महीने है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 8% तक ब्याज सबवेंशन दिया जाता है।

5 वर्षों में 30 लाख लाभार्थियों को शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में, योजना की शुरुआत के केवल 18 महीनों में ही 29.60 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। इनमें से लगभग 4 लाख का ऋण स्वीकृत भी किया जा चुका है। इस योजना के तहत दी जा रही समग्र सहायता हुनर निखारने, आधुनिक उपकरणों का उपयोग सिखाने और उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

आत्मनिर्भर भारत कोष

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, 2020 में भारत सरकार ने विकास-उन्मुख एमएसएमई को इक्विटी सहायता देने के लिए एक फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की थी। इस उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत कोष की स्थापना की गई, जिसमें भारत सरकार का योगदान 10,000 करोड़ और निजी निवेश 50,000 करोड़ था। यह कोष 'मदर फंड' (NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड) और कई 'डॉटर फंड्स' के माध्यम से संचालित होता है।

इस कोष का उद्देश्य एमएसएमई को आकार और क्षमता में विस्तार करने और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए प्रेरित करना है। 31 मार्च, 2025 तक, यह कोष 577 एमएसएमई में 10,979 करोड़ का निवेश कर चुका है। इनमें से लगभग 10% उद्यमों ने अपने वर्गीकरण में उन्नति की है, जैसे सूक्ष्म से लघु, लघु से मध्यम और कुछ तो बड़े उद्यम बन चुके हैं।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) भी 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का एक हिस्सा है, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई सहित व्यवसायों की परिचालन देनदारियों को पूरा करने और व्यापार दोबारा शुरू करने में सहायता के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 100% गारंटी सदस्य ऋण संस्थाओं को प्रदान की जाती थी। योजना 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रही। इस दौरान, कुल 2.42 लाख करोड़ राशि की 1.13 करोड़ गारंटियां एमएसएमई को प्रदान की गईं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अध्ययन के अनुसार, इस योजना ने कम से कम 14.6 लाख एमएसएमई खातों को NPA बनने से बचाया।

ऋण की उपलब्धता

बजट 2025 ने न केवल नई योजनाओं की घोषणा की, बल्कि सस्ती वित्तीय सहायता तक पहुँच को भी सरल बनाया। इसमें निम्नलिखित घोषणाएं शामिल हैं:

- सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड शुरू करना,
- स्टार्टअप्स के लिए नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित करना,
- महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए नई योजना,
- स्टार्टअप्स और सफल निर्यातक एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज को बढ़ाना।

तालिका-4: एमएसएमई को दिया गया कुल बकाया ऋण (लाख करोड़ में)

वित्त वर्ष	एमएसएमई को बकाया ऋण
2014-15	11.96
2015-16	12.16
2016-17	12.96
2017-18	13.24
2018-19	15.11
2019-20	16.14
2020-21	17.84
2021-22	20.11
2022-23	22.60
2023-24	27.26

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

तालिका-5: एमएसएमई को दिए गए कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत (फंडेड)

वित्त वर्ष	सकल एनपीए (%)
2019-20	11.03%
2020-21	8.70%
2021-22	7.58%
2022-23	5.47%
2023-24	4.46%

स्रोत: लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1720 का 05.12.2024 को दिया गया उत्तर

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में एमएसएमई को दिया गया बकाया ऋण (तालिका-4) निरंतर बढ़ रहा है, जबकि एमएसएमई को दिए गए कुल ऋण के अनुपात में सकल एनपीए (NPA) की दर (तालिका-5) में गिरावट देखी गई है। यह प्रवृत्ति एमएसएमई क्षेत्र की विकासशीलता, वित्तीय अनुशासन और लचीलेपन को दर्शाती है।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2025 ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण उपाय किए हैं, जिनमें वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन, ऋण उपलब्धता में वृद्धि, और तकनीकी प्रगति व डिजिटल परिवर्तन के लिए रास्ते सुनिश्चित करना शामिल है। भारत में एमएसएमई का भविष्य निःसंदेह उज्ज्वल है, जो सहायक सरकारी नीतियों, तकनीकी नवाचारों और लचीले आर्थिक परिवेश से प्रेरित है। यह क्षेत्र समग्र रूप से 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा तथा अमृतकाल के दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में अहम योगदान देगा। ❑